केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/275 दिनांक: 25.10.2018
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00243
CICOM/R/2017/01501

अपीलकर्ता : कु० रजनी देवी,
पुत्र – श्री श्रीराम, रि० रे० स्टे० मास्टर,
मो० – आदर्श नगर कालोनी,
गली नं. 1, रोजा जं०, पो० – रोजा आर० एस०,
जिला – शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश – 242001.

निर्णय की तारीख : 25.10.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	11.12.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	27.12.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. तलपात्रा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	27.09.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	485/22.10.2018 (4241/17.10.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 11.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/AB/A/2016/000928-AB के अनुपालन में रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों की मांग की गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है । अपीलकर्ता ने इसी आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित दिनांक 22.01.2018 एवं 28.06.2018 का प्रथम अपील आवेदन की प्रति भी संलग्न किया है तथा उल्लेख किया है कि उन प्रथम अपीलों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । इस संदर्भ उल्लेख किया जाता है कि दिनांक 22.01.2018 एवं 28.06.2018 के प्रथम अपील का अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर में श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM/R/2017/01501/171 दिनांक 27.12.2017 को प्रदान की गई सूचना के संदर्भ में अपीलकर्ता ने दिनांक 22.01.2018 के संलग्न प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकरी द्वारा प्रदान की गई सूचना में संलग्नक के रूप में एक भी पृष्ठ नहीं है । इस संदर्भ में पूछे जाने पर श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकरी ने अपीलकर्ता को प्रेषित दिनांक 16.07.2018 का पत्र दिखाते हुए सूचित किया कि अपीलकर्ता ने उक्त केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को इस संदर्भ में दिनांक 28.06.2018 को भी पत्र लिखा था, जिसके प्रतिउत्तर में सभी संलग्नों की प्रति पुनः 16.07.2018 को अपीलकर्ता को प्रेषित की जा चुकी है । **उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।**

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

RECEIVED
25 OCT 2018
D. NO.
C.I.C.

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :
1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।